112

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 5467-दो/2016 - विरूद्ध आदेश दिनांक 24-8-2016 - पारित द्वारा - तहसीलदार हुजूर जिला रीवा - प्रकरण क्रमांक 14 अ-79/2013-14

लल्लू प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व. रामदेव गुप्ता
ग्राम लौआ उर्फ लक्ष्मणपुर तहसील हुजूर जिला रीवा ---आवेदक

विरूद्ध

छोटेलाल गुप्ता पुत्र स्व. रामदेव गुप्ता
ग्राम लौआ उर्फ लक्ष्मणपुर तहसील हुजूर जिला रीवा ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री प्रदीप त्रिपाठी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री शशॉक त्रिपाठी)

आ दे श

(आज दिनांक 25 -10 -2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 14 अ-79/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 24-8-2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार हुजूर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्वुत कर भूमि सर्वे क्रमांक 758/1 रकबा 0.28 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) उभय पक्ष की होना बताते हुये बटवारे की मांग करते हुये नक्शा तरमीम

करने की भी प्रार्थना की। तहसीलदार हुजूर ने प्रकरण कमांक 14 अ-79/ 2013-14 पॅजीबद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 24-8-16 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि को दो समान हिस्सों में विभाजित करते हुये राजस्व निरीक्षक को नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये । अनावेदक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24-8-16 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार हुजूर ने आदेश दिनांक 24-8-16 में निम्नानुसार निर्णय लिया है:-

" ग्राम लौआ उर्फ लक्ष्मणपुर तहसील हुजूर की आ0नं0 मूल 758 रकबा 0.28 ए. दर्ज बटांक 758/1 एंव 758/2 हिस्सा बराबर पंचनामा अनुसार अंतर्गत धारा 178 व 109, 110 म0प्र0 भू रा0 संहिता 1959 के तहत विभाजन करने का आदेश किया जाता है। हलका पटवारी रिकार्ड दुरूस्त करे तथा राजस्व निरीक्षक आवेदित आराजियों का आदेशानुसार प्रथक से तर्मीम प्रस्ताव तैयार कर पेश करे। वाद कार्यवाही प्रकरण दा0द0 हो। "

उपरोक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार हुजूर ने प्रकरण कमांक 14 अ-79/ 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 24-8-16 से वादग्रस्त भूमि का बटवारा किया है और बटवारा आदेश संहिता की धारा 178 के अंतर्गत होने से ऐसा आदेश अपील योग्य है । आवेदक तहसीलदार के बटवारा आदेश दिनांक 24-8-16 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। जहॉ तक राजस्व निरीक्षक से आवेदित आराजियों के प्रथक से तर्मीम प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देशों का प्रश्न है ? राजस्व निरीक्षक से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नक्शा तरमीम की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत प्रथक से प्रकरण कायम कर की जावेगी, जिसके

कारण नक्शा तरमीम के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय न होने से विचाराधीन निगरानी में विचार करना व्यर्थ है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रचलन-योग्य न होने से इसी स्तर पर अमान्य की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर